FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

प्रभुलाल बनाम धीरीलाल

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 204 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 22/12/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
22/12/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 12/1/26 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
12/1/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी (1) आगामी दिनांक 19/1/26 को पेश हो।	
19/1/26	पत्रावली पेश हुई ... [illegible] ... बिजौलियाँ मास कार्य [illegible] ... पत्रावली दिनांक 2/2/2026 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
02/2/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है, विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में फाल-नम्बर (TOR) को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 204/25

तारीख दायर 3/12/25

प्रभुलाल पुत्र राजमल जाति धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

घीसीलाल पुत्र उँकार लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 2/2/26

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 108, 108/2, 108/5, 108/7 कुल किता 4 रकबा 1.4245 हैक्टेयर भूमि की** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 209/25 तारीख दायर 3/12/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....209............/ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

प्रभुलाल पुत्र राजमल जाति धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

घीसीलाल पुत्र उँकार लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 108, 108/2, 108/5, 108/7 कुल किता 4 रकबा 1.4245 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा